



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षा 2016

विज्ञापन क्रमांक 09/परीक्षा/2016/ 14.12.2016

विभिन्न विभाग , मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की

अंतिम तिथि 18.1.2017

ऑनलाइन परीक्षा की तिथि

26.02.2017

महत्वपण

- 1- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी से संबन्धित पद, यथा, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट कम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, प्रोग्रामर तथा सहायक प्रोग्रामर के कुल 34 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में बी. ई. / बी. टेक में 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
अथवा
एम.सी.ए./ एम.सी.एम./ एम.एस.सी. सूचना प्रौद्योगिकी/ एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान में 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2016 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 18.1.2017 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-
दूरभाष :- 0731-2702689
ई-मेल :- mppsconline@gmail.com
- 3- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु दिनांक 26.02.2017 को इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित निर्धारित केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 04.02.2017 से 24.02.2017 तक www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध होंगे।
- 4- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे।
- 5- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक

भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्य प्रदेश शासन, के विभिन्न विभागों के अंतर्गत अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पदनाम/विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद				मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद			कुल पद	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	OH	VH	HH		
द्वितीय श्रेणी																		
सिस्टम एनालिस्ट																		
2	वाणिज्यिक कर विभाग	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
सिस्टम एनालिस्ट कम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर																		
3	वाणिज्यिक कर विभाग - पंजीयन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
4	वाणिज्यिक कर विभाग - आबकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
सिस्टम मैनेजर																		
5	वाणिज्यिक कर विभाग - पंजीयन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
6	वाणिज्यिक कर विभाग - आबकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
नेटवर्क मैनेजर																		
7	वाणिज्यिक कर विभाग - पंजीयन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
8	वाणिज्यिक कर विभाग - आबकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
प्रोग्रामर																		
9	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
10	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9300-34800 + 4200 ग्रेड पे
तृतीय श्रेणी																		
सहायक प्रोग्रामर																		
11	वाणिज्यिक कर विभाग	9	3	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	18	9300-34800 + 3200 ग्रेड पे
12	वित्त विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9300-34800 + 3200 ग्रेड पे
	योग	21	4	5	4	4	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	34	
Abbreviations:																		
UR- अनारक्षित, SC-अनुसूचित जाति, ST-अनुसूचित जनजाति, OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग, OH -अस्थिबाधित, VH-दृष्टिबाधित, HH-श्रवणबाधित																		

दो

पद का विवरण

01	पद का नाम	:	सिस्टम एनालिस्ट
	विभाग का नाम	:	वाणिज्यिक कर विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
02	पद का नाम	:	सिस्टम एनालिस्ट कम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर
	विभाग का नाम	:	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन / आबकारी)
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
03	पद का नाम	:	सिस्टम मैनेजर

	विभाग का नाम	:	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन / आबकारी)
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

04	पद का नाम	:	नेटवर्क मैनेजर
	विभाग का नाम	:	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन / आबकारी)
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

05	पद का नाम	:	प्रोग्रामर
	विभाग का नाम	:	1. योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 2. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हेतु - रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग हेतु - रुपये 9300-34800+4200 ग्रेड पे दोनों विभागों हेतु :- राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

06	पद का नाम	:	सहायक प्रोग्रामर
	विभाग का नाम	:	1. वाणिज्यिक कर विभाग 2. वित्त विभाग
	श्रेणी	:	1. वाणिज्यिक कर विभाग - अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कार्यपालिक 2. वित्त विभाग- स्थायी - अराजपत्रित तृतीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	1. वाणिज्यिक कर विभाग- अस्थायी 2. वित्त विभाग- स्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 9300-34800+3200 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

तीन **शैक्षणिक अर्हता** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में बी. ई. / बी. टेक में 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
अथवा
एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. सूचना प्रौद्योगिकी/ एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान में 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

- टीप-**
- (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
 - (2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक की जा सकेगी। बड़े हुये पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
 - (3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।
 - (4) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
 - (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है, आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमी लेयर में नहीं आते।

(6) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

(7) केवल सहायक प्रोग्रामर का एक पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः आयु सीमा: मध्यप्रदेश के मूल निवासियों हेतु :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आयु संगणना तिथि 01.01.2017

सात

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 60 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :-

- (1) चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्नपत्र की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- (2) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, इस प्रकार उनके लिये ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (3) ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।
- (4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से SMS/आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर सूचित किया जायेगा।
- (5) साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों से पदों के संदर्भ में उनकी अग्रमान्यता प्राप्त की जाएगी। अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं पदों हेतु विचारित किया जाएगा जो उन्होंने अपने अग्रमान्यता पत्रक में भरा है।
- (6) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता पत्रक में प्रस्तुत अग्रमान्यता एवं ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।
- (7) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- (8) चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

ऑनलाइन परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके आदर्श उत्तरों की कुंजी तैयार कर, जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति

सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका आदर्श कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब आदर्श कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-
(अ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो।
(आ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।

समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।

ग्यारह ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र :-

कोड	शहर	कोड	शहर
01	इंदौर	03	ग्वालियर
02	भोपाल	04	जबलपुर

अभ्यर्थी उक्त शहरों में से उनकी अग्रमान्यता क्रम में चारों शहर केंद्र चुन सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जायें। आयोग प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से अलग परीक्षा शहर केंद्र आवंटित कर सकता है तथा परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम या अधिक कर सकता है।

प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

बारह प्रवेश-पत्र प्राप्ति प्रक्रिया :- ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 04.02.2017 से 24.02.2017 तक आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगे। अर्हताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त वेबसाइट्स से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।

फोटो पहचान-पत्र :- ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक मूल फोटो पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो परिचय-पत्र से अभ्यर्थी के पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

- | | |
|---------------------|--|
| 1 पासपोर्ट | 6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र |
| 2 मतदाता पहचान पत्र | 7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक |
| 3 ड्रायविंग लायसेंस | 8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र |
| 4 पैन कार्ड | 9 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र |
| 5 आधार कार्ड | |

तेरह आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु [परिशिष्ट -2](#) का अवलोकन करें।

चौदह अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

पंद्रह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (i) आयु सीमा की छूट [परिशिष्ट -1](#)
- (ii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां [परिशिष्ट -2](#)
- (iii) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश [परिशिष्ट-3](#)
- (iv) ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम [परिशिष्ट-4](#)



सचिव

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

- (1) म.प्र. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-11/2012/1/3, दिनांक 13.01.2016 द्वारा निर्धारित विभिन्न श्रेणियों हेतु निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार है:-

क्रमांक	आवेदक	मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)	मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	35
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	35
6.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35

- (2) निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। केवल सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित निःशक्त अभ्यर्थी आरक्षण एवं छूटों के पात्र है।
- (3) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

- (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3)1, दिनांक 11 जनवरी 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :-

- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
- (2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 3) (दो) (1 से 3) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षा 2016 के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

- 1 उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
 - 1. www.mppsc.nic.in
 2. www.mppscdemo.in
 3. www.mppsc.com
- 3 अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- 4 अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
- 5 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
- 6 आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
- 7 आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
 अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 26.12.2016 से 20.01.2017 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 1000 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 500 निर्धारित है अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 500 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
 ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ निःशक्तता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

9 अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2 परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 500/-	₹ 1000/-

टीपः आयोग को प्राप्त शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जाएगा तथा न ही किसी अन्य परीक्षा हेतु समायोजित किया जाएगा।

3 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18.1.2017 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- 0731-2702689
ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

4 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

निःशक्तता प्रमाण-पत्र :- निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी निःशक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। केवल सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित निःशक्त अभ्यर्थी आरक्षण तथा आयु सीमा में छूटों के पात्र है।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ----- के विज्ञापन क्रमांक 09/परीक्षा/2016, दिनांक 14-12-2016 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं -----पिता श्री----- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-----जिला -----, मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। मैं -----जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा मध्य प्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है।

2. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती हूँ।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

रोल नंबर -----

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

शासकीय सेवकों हेतु :- नियुक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-3) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5 जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो,

उनको यह अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

6 अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

- 01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्रास किया हो; या
- 02 प्रतिरूपण किया हो; या
- 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- 04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- 05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
- 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या
- 07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या
- 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या
- 09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या
- 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

- (क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरह ठहरा सकेगा और/ या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
- (ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।
- (ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हताये:** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- लिखित परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

- 01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।
- 02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
- 03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हों जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जायेगा।

9- यात्रा व्यय का भुगतान :-

- (अ) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों, को ऑनलाइन परीक्षा परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
- (ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
- (स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो ।
- (द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।
- (फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-

परीक्षा पूर्व निर्देश

- 01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/ टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/ वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।
- 02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे।
- 03 परीक्षार्थियों हेतु निम्न हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी:-
हेल्प लाईन नम्बर- 0731-2702689
ई-मेल- mppsonline@gmail.com
- 04 आयोग की वेबसाइट पर माँक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा।
- 05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके।
- 06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है।
- 07 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा। तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बायें हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बायें/दाएं हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा।
- 08 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी। जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएं अन्दर न ले जा सके।
परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें
सामान्यतः ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर ए सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। ऐसेसरीज़ जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक़ल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है।
सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।
- 09 आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये हैं, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा। फोटो आई-डी की फोटोकापी मान्य नहीं की जावेगी।
 1. मतदाता परिचय पत्र
 2. आधार कार्ड
 3. ड्राइविंग लायसेंस
 4. पेन कार्ड
 5. पासपोर्ट
 6. फोटो सहित बैंक पासबुक
 7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र।
 8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।
 9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

- 10 सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी ।
- 11 आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा ।
- 12 रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेगे।
- 13 ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।
- 14 परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे ।
- 15 परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे ।
- 16 परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा ।
- 17 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात् स्क्रीन पर माॅडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा । उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएंगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा सके ।
- 18 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है ।
- 19 प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बाये/दाये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था ।
- 20 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात्, 01:30 घण्टे पश्चात् परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।
- 21 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।
- 22 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।
- 23 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी।

परीक्षा पश्चात् की कार्य प्रक्रिया

- 24 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगे। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।
- 25 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान किया जायेगा;
इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
 - अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की फोटो कापी
 - यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी जमा करने पर ही प्रदान किया जायेगा ।
- 26 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं माडल उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड

ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी ।

27 माडल उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वेब साईट पर उपलब्ध रहेंगे ।

28 परीक्षा पश्चात परीक्षार्थी प्रश्नपत्र से संबंधित अपने Objection सात दिवस की अवधि में अपना नाम, रोल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर ऑनलाईन भेज सकेंगे। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षा-2016
परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

(क) परीक्षा योजना

चयन विधि :- अंतिम चयनफल अभ्यर्थी द्वारा चयनित अग्रमान्यता के आधार पर लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जायेगा।

अंक योजना:- लिखित परीक्षा हेतु कुल 200 अंक तथा साक्षात्कार हेतु कुल 25 अंक निर्धारित है :-

प्रश्न पत्र योजना :-

- (1) सिर्फ एक प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार का होगा। प्रश्नपत्र में 2-2 अंक के कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा Online पद्धति से आयोजित की जावेगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर A, B, C, D होंगे। प्रश्न क्रमांक के समक्ष स्थित चार विकल्प उत्तरों में से केवल एक ही विकल्प उत्तर को अंकित करना है। उक्त परीक्षा में Negative Marking नहीं होगी।
- (2) प्रश्नपत्र की अवधि 02 घण्टे की होगी। प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा।

उत्तीर्णांक :-

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषण हेतु अर्ह घोषित किये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।

परीक्षा नियंत्रक

(ख) पाठ्यक्रम

Section 1: Data Base Management Systems

Database Environment: Basic Concepts, Advantages of Database approach, Comparison with Traditional file systems, DBMS Architecture, Database Users, Data Models and Schemas, Database languages and Interfaces; Database development process: Development Lifecycle, Types of Application.

Introduction to Data Modeling, Modeling the rules, Entity Relationship Model, ER Model Constructs- Attributes, Relationship etc., Enhanced ER Model and Business Rules, Modeling Introduction to SQL – Inserting , Updating, and Deleting data, Processing Single Tables, Processing Multiple Tables, PL/SQL Constructs - Views, Triggers, Cursors etc; Transaction Processing – Properties, Schedules and Serializability Issues. Concurrency Control – Introduction, Locking and Time Stamping Issues etc.

Section 2:Computer Networks

Introduction, topology, OSI model, Concept of layering, *Communication Media*, LAN technologies (Ethernet). Flow and error control techniques, switching. IPv4/IPv6, routers and routing algorithms (distance vector, link state). TCP/UDP and sockets, congestion control. Application layer protocols (DNS, SMTP, POP, FTP, HTTP). Basics of Wi-Fi

Section 3: Data Structures and Algorithms

Abstract data types, Arrays, stacks, queues, linked lists, trees, binary search trees, binary heaps, AVL trees, search trees, graphs, Types of graph, Representation of graph in memory, applications. Introduction to algorithms, Searching, sorting, Algorithms analysis, best, average, and worst case analysis. Asymptotic complexity, asymptotic notation. Algorithm design using divide - and - conquer, and greedy approach.

Section 4:Operating Systems and Software Engineering

Operating System: Introduction, types of operating systems, Processes, Threads, Inter-process communication, Concurrency, Synchronization, Deadlock, CPU scheduling, Memory management and virtual memory.

Information Systems and Software Engineering: information gathering, requirement and feasibility analysis, data flow diagrams, process specifications, input/output design, process life cycle, planning and managing the project.

Section 5: Programming Skills

Introduction to the C Language:

The C Language and its Advantages – The Structure of a C Program - Data Types, Variables, Constants - Operands, Operators, and Arithmetic Expressions - Input/ Output Management - The getchar() and putchar() Functions – Single - character I/O – string I/O - Formatted Input and output Function.

Introduction - goto statement – If - else statement - nested if - else statement – switch statement - for loop - nested for loop - while loop – do - while loop – break statement - continue statement - exit() function. Functions: Introduction - Call by Value and Call by Reference – return values – recursion – Arrays - Introduction to Arrays - Initialization of Array - Multi dimensional. Pointers – Introduction – definition - address operator - pointer variables - pointers to pointers - pointers and arrays: - pointers and functions – Files – Introduction – File Structure - File handling functions - File Types - Error Handling – Structure – Introduction – declaring – initialization

Introduction to OOP, Class & Objects:

Object Oriented Programming Paradigm - Basic Concepts of OOP - Benefits of OOP - Object Oriented Languages - Features of OOP - How OOP Differ from Procedure Oriented Programming - applications of OOP - structure of C++ Program - basic Data Types in C++ - Operators in C++ - Scope Resolution Operator - Member Dereferencing Operators – memory management operators - Introduction of Classes - Inline member functions – Objects - Arrays of Objects - Objects as Function Arguments - Static data member and static member functions – Constructors - Parameterized Constructors – Default Argument constructors – Copy Constructors – Destructors – Friend functions.